न्यायालयः—अपर सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन राज.।
पीठासीन अधिकारी :— आशा चौधरी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक नियमित अपील सं. :—09/2024, सी.आई.एस. नं. :—09/2024
सी.एन.आर. नं. :— RJDK080003212024
निर्णय अपील दिनांक :— 05/06/2026

1. सीताराम पुत्र नानूराम, उम्र 64 वर्ष, निवासी हरिजनों का मोहल्ला बोरावड़, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
2. घनश्याम पुत्र नानूराम, उम्र 62 वर्ष, निवासी हरिजनों का मोहल्ला बोरावड़, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
3. अशोक पुत्र नानूराम, उम्र 43 वर्ष, निवासी हरिजनों का मोहल्ला बोरावड़, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
4. रामनिवास पुत्र नानूराम, उम्र 55 वर्ष, निवासी 1294 ए हजारी बाग आशागंज अजमेर।
5. रमेश पुत्र नानूराम, उम्र 57 वर्ष, निवासी हरिजनों का मोहल्ला बोरावड़, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

—— अपीलार्थीगण

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक मकराना।
2. मोहम्मद इस्माईल पुत्र इब्राहिम, निवासी बोरावड़, पुलिस थाना मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

——— प्रत्यर्थीगण

उपस्थितिः—

अपीलार्थीगण की ओर से	—	अधिवक्ता श्री विजयसिंह राजपुरोहित, श्री जावेद हुसैन, श्री रमेश, श्री विपुल कुमार।
प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से	—	अपर लोक अभियोजक श्री हरिकृष्ण गोपाल।
प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से	—	कोई उपस्थित नहीं।

सुश्री पूनम योगी, आर.जे.एस., न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 335/2022, सी.आई.एस. नं. 10431/2014 बअनुवान राजस्थान सरकार बनाम सीताराम वगैरह अपराध अंतर्गत धारा 451, 323 भा.दं.सं. में पारित निर्णय/दण्डादेश दिनांक 12.07.2024 के विरूद्ध आपराधिक नियमित अपील अंतर्गत धारा 419 बी.एन.एस.एस.

दिनांक :— 05/06/2026

—:: निर्णय ::—

1. सुविधा की दृष्टि से इस निर्णय में आगे सीताराम वगैरह को अभियुक्तगण व मोहम्मद इस्माईल को परिवादी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

2. अपीलार्थीगण सीताराम वगैरह की ओर से प्रत्यर्थीगण राजस्थान सरकार वगैरह के विरूद्ध विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना के द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 335/2022, सी.आई.एस. नं. 10431/2014 बअनुवान सरकार बनाम मदनसिंह वगैरह अपराध अंतर्गत धारा 451, 323 भा.दं.सं. में दिनांक 12.07.2024 को पारित निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध अपील पेश की है, जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी इस्माईल ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 06.10.2011 को सुबह 9:00 बजे की बात है। परिवीाद घाटी चौराहा पर किसी काम से जा रहा था कि सामने से सीमाराम आ रहा था। उसने रास्ता रोककर कहा कि तुमने मेरी शिकायत करके क्या कर लिया, मैंने तो पानी का अवैध कनेक्शन कर लिया है। फिर वह अपने घर आ गया। उसके पीछे सीताराम, घनश्याम, अशोक, रामनिवास, रमेश पिसरान नानूराम हरिजन व उनके परिवार के अन्य आदमी व औरतें लाठियां, पत्थर आदि लेकर उसके घर के अंदर घुस कर उसके साथ मारपीट व गाली–गलौच करना शुरू कर दिया। फिर हो–हल्ला सुनकर उसका भाई मुंशी व उसकी औरत ने उसका बीच–बचाव किया। रामनिवास ने उसकी औरत की ओढ़नी खींचकर लज्जा भंग की, वगैरह–वगैरह। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संख्या 295/2011 अपराध अंतर्गत धारा 143, 452, 323 भादंसं. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान हस्तगत प्रकरण में एफ.आर. अदम वकू झूठ में प्रस्तुत हुई, जिसके विरूद्ध परिवादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण सीताराम, घनश्याम, अशोक, रामनिवास, रमेश के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 451, 323 भा.दं.सं. में दिनांक 17.12.2014 को प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया, जिसके पश्चात् अभियुक्तगण को दिनांक 17.11.2017 को आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये–समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत की गई।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 मो. उस्मान, पी.ड. 02 मो. असलम, पी.ड. 03 मो. इस्माईल, पी.ड. 04 मुंशी कुरैशी, पी.ड.

05 मुमताज खान की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–04 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित कराये गये।

5. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन किए कि वे निर्दोष हैं, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया है। साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश कर गवाह डी.ड. 01 अशोक के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–01 अंतिम रिपोर्ट व प्रदर्श डी–02 प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रोस केस को प्रदर्शित करवाये।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस अन्तिम सुनकर दिनांक 12.07.2024 को अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 451, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित कर उक्त अपराध के लिए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक साल की अवधि एवं सद्व्यवहार बनाये रखने, अपराध की पुनरावृति नहीं करने तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित आने बाबत् प्रत्येक अभियुक्तगण को 5000/–रूपये राशि की जमानत व इसी राशि का मुचलका न्यायालय के संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करवाने पर उन्हें परिवीक्षा पर छोड़े जाने का आदेश दिया तथा प्रत्येक अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 200/–रूपये अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह अपील इस न्यायालय में पेश की जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

7. बहस अपील सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. दौराने बहस अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन रहा कि पुलिस थाना मकराना के समक्ष परिवादी के द्वारा एफ.आई. आर. दर्ज करवाने पर पुलिस थाना मकराना द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एफ.आर. प्रस्तुत की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाहान परीक्षित हुए हैं, वे सभी पारिवारिक सदस्य हैं। स्वयं परिवादीगण ने अभियुक्तगण के साथ मारपीट की थी, जिसके विरूद्ध अभियुक्तगण ने परिवादीगण के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी, जिसमें परिवादी पक्ष

के विरूद्ध चार्जशीट पेश हुई थी। चार्जशीट और एफ.आई.आर. को गवाह डी.ड. 01 की ओर से अपनी साक्ष्य में प्रदर्शित करवाये गये हैं। अभियुक्तगण द्वारा अपनी अपील मीमो और बहस के दौरान जो उज्र लिये गये हैं, उक्त किसी भी तथ्य के बाबत् विचारण न्यायालय के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है और विधि विरूद्ध जाते हुए निर्णय व दण्डादेश पारित किया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के दिनांक 12.07.2024 के निर्णय व दण्डादेश को अपास्त कर अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 451, 323 भा.दं.सं. से दोषमुक्त किया जावे।

9. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस कथन किया कि विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.07.2024 के द्वारा जो निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया है, वह अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के सही विवेचन के आधार पर पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तथा फेर–फार करने की कोई गुजाईश नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज करते हुए विचारण न्यायालय के दिनांक 12.07.2024 के निर्णय व दण्डादेश को पुष्ट किया जावे।

10. बहस पर विचार किया गया, विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपील न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. प्रकरण में अभियुक्तगण पर परिवादी के घर में घुसकर गृह अतिचार कर उसके साथ स्वेच्छया मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित करने का आरोप है।

12. उक्त आरोपों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभय सुनी गई। पत्रावली पर जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई है, उसका न्यायालय द्वारा ध्यानपूर्वक अवलोकन कर परिशीलन किया गया।

13. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत अपील में अपीलार्थीगण के द्वारा यह उज्र लिया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी गवाहान एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान परिवादी पी.ड. 03 मोहम्मद इस्माईल ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया कि घटना के दिन अभियुक्तगण उसके घर आये और उसके

साथ पत्थरों व लकड़ियों से मारपीट की और उसकी पत्नी ने छुड़ाने की कोशिश की तो उसकी पत्नी के साथ भी अभियुक्तगण ने छेड़छाड़ की और मौके पर आकर उस्मान व असलम ने बीच–बचाव किया। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि मारपीट से उसके चोटें आई थी, फ्रेक्चर नहीं हुआ था लेकिन दर्द के कारण वह 10 दिन घर पर रहा था। चोट लगने से खून व सूजन आई थी। इस प्रकार परिवादी पांच अभियुक्तगण के द्वारा उसके घर में घुसकर पत्थरों व लकड़ियों से मारपीट करना कथन कथित करता है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो परिवादी का कोई भी चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर संलग्न नहीं है। इस बाबत् परिवादी/आहत मोहम्मद इस्माईलन पी.ड. 03 की चोटों का मेडिकल नहीं कराने बाबत् जो प्रार्थना–पत्र पुलिस उप अधीक्षक मकराना को दिया गया है, वह पत्रावली पर संलग्न है, जिसें यह उल्लेखित है कि परिवादी मोहम्मद इस्माईल अपनी शरीर पर आई चोटों का मेडिकल नहीं कराना चाहता है और उक्त तथ्य का भी वर्णन है कि उसके अंदरूनी चोटें थी, इस कारण से मेडिकल नहीं कराना चाहता है, जबकि परिवादी/आहत पी.ड. 03 मोहम्मद इस्माईल ने अपनी साक्ष्य में जाहिर किया कि उसके मारपीट से खून आया था व सूजन भी आई थी। सामान्यतः जब 04–05 व्यक्तियों के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के साथ लकड़ियों व पत्थरों से मारपीट की जाती है तो उस व्यक्ति के गंभीर चोटें नहीं तो साधारण प्रकृति की चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी/आहत पी.ड. 03 के अनुसार उसके साथ 04–05 व्यक्तियों ने लकड़ियों और पत्थरों से मारपीट की थी, जिसके पश्चात् भी उसके कोई जाहिरा चोटें नहीं थी, इस बाबत् स्वयं परिवादी/आहत द्वारा अपना मेडिकल नहीं कराने बाबत् प्रार्थना–पत्र पुलिस उप अधीक्षक मकराना के समक्ष पेश किया था कि उसके अंदरूनी चोटें लगी थी, जिसके कारण वह मेडिकल परीक्षण नहीं करना चाहता है लेकिन इस बाबत् परिवादी/आहत पी.ड. 03 जिरह में कथन कथित करता है कि चोट लगने से उसके खून आया था और सूजन भी आई थी। यदि अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर परिवादी/आहत के साथ मारपीट की जाती, जिसके परिणामस्वरूप उसके खून आया था व सूजन भी आई थी तो वह आवश्यक रूप से अपनी चोटों का मेडिकल करवाता लेकिन

परिवादी/आहत पी.ड. 03 ने अपने कथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य यथा चोट प्रतिवेदन पेश नहीं किया है। साथ ही परिवादी/आहत पी. ड. 03 ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया कि जब अभियुक्तगण उसके घर में आकर मारपीट कर रहे थे तो उसकी पत्नी बीच–बचाव करने आई थी लेकिन परिवादी पी.ड. 03 की पत्नी विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुई है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से चश्मदीद साक्षी पी.ड. 01 मुंशी कुरैशी को पी.ड. 04 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा मोहम्मद इस्माईल के साथ मारपीट की जा रही थी तो उसने और उसके भाई ने बीच–बचाव किया था लेकिन इस संबंध में स्वयं परिवादी/आहत पी.ड. 03 ने ऐसा कोई कथन कथित नहीं किया है कि बीच–बचाव करने में गवाह पी.ड. 04 मुंशी कुरैशी मौके पर उपस्थित हो और उसने बीच–बचाव किया हो। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाह पी.ड. 04 मुंशी कुरैशी घटना के समय मौके पर उपस्थित हो, यह विश्सनीय प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य चश्मदीद गवाह पी.ड. 01 मोहम्मद उस्मान को परीक्षित करवाया गया है, जिसने दौराने जिरह कथन कथित किया है कि झगड़े के समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था। झगड़े के बारे में परिवादी ने उसे बताया था अर्थात् उक्त साक्षी पी.ड. 01 मोहम्मद उस्मान अनुश्रुत साक्षी है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाह पी.ड. 01 मोहम्मद उस्मान घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था, जिससे कि उसकी साक्ष्य भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, जबकि परिवादी पी.ड. 03 ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया है कि गवाह पी.ड. 01 के द्वारा मौके पर उपस्थित होकर बीच–बचाव किया गया था, अतः ऐसी स्थिति में परिवादी के कथनों की पुष्टि गवाह पी.ड. 01 के कथनों से नहीं होती है।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड. 02 मोहम्मद असलम को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया है कि अभियुक्तगण ने मोहम्मद इस्माईल के घर आकर मारपीट करनी शुरू कर दी थी। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा में ऐसा कोई कथन कथित नहीं किया है कि अभियुक्तगण के हाथों में उस समय लकड़ी व पत्थर हो और उक्त

हथियार से अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ मारपीट की हो। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन कथित किया है कि अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ हाथों से मारपीट की थी, अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाह की मौके पर उपस्थिति ही संदिग्ध प्रतीत होती है क्योंकि परिवादी पी.ड. 03 के कथनानुसार अभियुक्तगण ने उसके साथ पत्थरों व लकड़ियों से मारपीट की थी, जबकि उक्त गवाह हाथों से मारपीट करना बताता है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो परिवादी के कथनानुसार उक्त घटना दिनांक 06.10.2011 की है, जबकि उक्त घटना के संबंध में परिवादी की ओर से पुलिस थाना मकराना के समक्ष दिनांक 11.10.2011 को प्रदर्श पी–01 प्रार्थना–पत्र एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए पेश किया गया था। परिवादी ने अभियुक्तगण के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए प्रार्थना–पत्र पांच दिन विलम्ब से क्यों पेश किया, इस बाबत् अभियोजन की साक्ष्य मौन है। पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो स्वयं गवाह डी.ड. 01 अशोक ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया है कि अभियुक्तगण ने परिवादी पक्ष के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी, इस कारण परिवादी पक्ष ने उक्त मुकदमा दर्ज कराया, इस बाबत् गवाह डी.ड. 01 अशोक ने अपनी साक्ष्य के दौरान चार्जशीट प्रदर्श डी–01 व एफ.आई.आर. प्रदर्श डी–0 के रूप में पेश कर प्रदर्शित करवाई है। अभियुक्तगण के द्वारा जो एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है, वह घटना की दिनांक को ही दर्ज किये जाने का अंकन है व पुलिस ने भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के विरूद्ध दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. में परिवादी पक्ष के विरूद्ध धारा 341, 323, 336 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित माना है।

16. जहां तक कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में आहत का कोई चोट प्रतिवेदन नहीं होने पर विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ''लक्ष्मणसिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार'' क्रिमी. अपील नं. 606/2021 में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में धारा 323 भा.दं.सं. के अपराध के लिए आहत के शरीर पर आई चोटों के संबंध में पत्रावली पर चोट प्रतिवेदन के अभाव में भी अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया जाना माना गया है लेकिन इस

संबंध में हस्तगत प्रकरण का अवलोकन किया जावे तो चूंकि स्वयं परिवादी के कथनानुसार उसके साथ 04–05 व्यक्तियों के द्वारा लकड़ियों व पत्थरों से मारपीट की गई थी, ऐसे में उक्त मारपीट से परिवादी/आहत के गंभीर नहीं तो साधारण प्रकृति की चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, ऐसे में परिवादी/आहत द्वारा स्वयं के कारित चोटों के संबंध में कोई चोट प्रतिवेदन अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किये जाने के कारण यह नहीं माना जा सकता है कि घटना की दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा परिवादी/आहत के साथ किसी प्रकार से भी लकड़ियों व पत्थरों से मारपीट कारित की गई हो, ऐसे में विचारण न्यायालय ने जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत का हवाला देते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित माना है, वह हस्तगत प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों के कारण माने जाने योग्य नहीं है।

17. अतः पत्रावली पर जो अभियुक्तगण ने परिवादी पक्ष के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई है, उसका अवलोकन करने से व उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से हस्तगत प्रकरण में परिवादी/आहत पी.ड. 03 ने अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा, ऐसा प्रतीत होता है कि एफ.आई.आर. सं. 289/2011 से बचने के लिए दर्ज करवाया है, ऐसे में विचारण न्यायालय के द्वारा जो अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 451, 323 भा.दं.सं. के संबंध में आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 12.07.2024 पारित किया गया है, वह विधिसम्मत नहीं है।

18. इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये गवाहान के बयानों का विस्तृत तौर पर विवेचन एवं विश्लेषण नहीं करते हुये एवं प्रकरण में आई दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन नहीं करते हुए अपना निष्कर्ष निकालकर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 451, 323 भा.दं.सं. से दोषसिद्ध घोषित किया है, वह विधिसम्मत नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 12.07.2024 वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है और अभियुक्तगण उक्त आरोपित अपराध अपराध अंतर्गत धारा 451, 323 भा.दं.सं. से दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

19. परिणामतः अपीलार्थीगण सीताराम वगैरह की ओर से प्रत्यर्थीगण राजस्थान सरकार वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक नियमित अपील सं. 09/2024, क.नं. 09/2024 स्वीकार कर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 451, 323 भा.दं.सं. से दोषमुक्त घोषित किया जाता है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2024 को पारित निर्णय व दण्डादेश वैध, शुद्ध औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अपास्त किया जाता है।

20. अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण के द्वारा धारा 437ए दप्रसं. की पालना में प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रति विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को पालनार्थ लौटायी जाये।

(आशा चौधरी, DJ Cadre)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

21. निर्णय व आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(आशा चौधरी, DJ Cadre)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)